

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स. 3(3)(2) स्था/मंत्रा./अभि./2018/पार्ट-1/10380-405

दिनांक:- 3/12/19

-:: आदेश ::-

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.आ/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रं.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री औंकार सिंह राजपूत	सहा.प्रशा.अधि. आयुर्वेद विभाग	09.08.57	एडीपी उदयपुर	प्रथम बार
2.	श्री रामेश्वर प्रसाद बुनकर	कनिष्ठ सहायक, यूनानी चिकित्सा विभाग	06.07.58	एडीपी जयपुर द्वितीय	प्रथम बार
3.	श्री इन्द्र राज दवे	वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	14.09.57	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
4.	श्री गजेसिंह भाटी	प्रशासनिक अधिकारी, न्याय विभाग	01.05.59	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
5.	श्री अशोक कुमार खण्डेलवाल	वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	05.02.59	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
6.	श्री हजारी लाल बंशीवाल	अति.प्रशा.अधि., अभियोजन विभाग	06.06.59	एडीपी दोसा	प्रथम बार
7.	श्री बृजेश कुमार गुप्ता	कनिष्ठ सहायक, राजस्व विभाग	01.07.58	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
8.	श्री ब्रम्हानन्द शर्मा	कनिष्ठ सहायक, शिक्षा विभाग	02.05.56	एडीपी हनुमानगढ़	प्रथम बार
9.	श्री बच्चू सिंह कुन्तल	अति.प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग	01.12.58	एडीपी भरतपुर	प्रथम बार
10.	श्री कन्हैया लाल शर्मा	कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	14.04.59	एडीपी अलवर	प्रथम बार
11.	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	अति. प्रशा. अधि., अभियोजन विभाग	01.01.59	एडीपी कोटा	प्रथम बार
12.	श्री अशोक कुमार चौबीसा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	05.06.59	एडीपी झुंजरपुर	प्रथम बार
13.	श्री फतेह सिंह	रीडर, न्याय विभाग	12.02.59	एडीपी द्वितीय जयपुर	प्रथम बार
14.	श्री मोहम्मद आबीद खान	सहा.प्रशा.अधिकारी, पुलिस विभाग	01.02.57	एडीपी चित्तौडगढ़	प्रथम बार
15.	श्री रंगलाल गवारिया	कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	20.02.56	एडीपी सीकर	द्वितीय बार

16.	श्री प्रदीप कुमार माथुर	सहा.प्रशा.अधिकारी. पी.एच.ई. डी.विभाग	23.07.56	एडीपी द्वितीय जयपुर	द्वितीय बार
17.	श्री नन्दकिशोर बालोटिया	अति.प्रशा.अधि., अभियोजन विभाग	01.02.58	एडीपी जेसलमेर	द्वितीय बार
18.	श्री भजन बिहारी शर्मा	वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षा विभाग	31.01.57	एडीपी चित्तौडगढ	द्वितीय बार
19.	श्री खेमचन्द	सहा.प्रशा.अधि. अभियोजन विभाग	27.11.57	एडीपी जयपुर देहात	द्वितीय बार
20.	श्री बद्रीनारायण शर्मा	सहा.प्रशा.अधि., समेकित बाल विकास विभाग	20.07.57	एडीपी द्वितीय जयपुर	द्वितीय बार
21.	श्री रामलाल	कनिष्ठ सहायक, राजस्व विभाग	06.07.57	एडीपी जालौर	द्वितीय बार

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.ग/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यक्षीन होगी।
- 6 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 7 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00053/H-10/19 दिनांक 25.07.2019 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

sd

(एस.एन.ब्यास)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
4. रक्षित पत्रावली।

31/07/19
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर